फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
लीलादेवी पत्नी सोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बारवा तहसील बाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/493
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10.08.25	प्रार्थी द्वारा नक्शे में तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीलदार बाली की जांच अभिशंषा सहित प्राप्त हुआ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जांच रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला बनना जाहिर है। प्रकरण राजस्व विविध में पंजीबद्ध किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, इस संबंध में पटवारी हल्का बारवा व निरीक्षक भू–अभिलेख बाली की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 230–234 दिनांक 09.02.15 एवं उसकी पालना में पटवारी हलका द्वारा जारी किये गये तरमीमी नक्शा पी–35 क्रमांक 37 दिनांक 22.08.14 एवं वर्तमान कम्प्यूटराईज्ड ऑनलाईन नक्शा का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस एवं धारा 131 नक्शे में तरमीम शुद्धि बाबत विधि के प्रावधानों पर भी मनन किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात है कि रूपांतरण आदेश के संलग्न पटवारी हल्का बारवा द्वारा जारी संपरिवर्तित भूमि खसरा नंबर 1052/4 रकबा 0.24 हैक्टर की तरमीम खसरा नंबर 1052/2 तथा 1052 के समानांतर उपर की ओर की गई है। वर्तमान कम्प्यूटराईज्ड नक्शा में दर्ज स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात है कि खसरा नंबर 1052/4 की तरमीम खसरा नंबर 1052/2 तथा खसरा नंबर 1052 के उपर नहीं की जाकर खसरा नंबर 1052/2 के पश्चिम दिशा की ओर कर दी गई है। तहसीलदार बाली ने अपने जांच रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित सही तरमीम नक्शा में वर्णित किया है कि संपरिवर्तन के समय खसरा नंबर 1052/4 की तरमीम खसरा नंबर 1052/3 के समानांतर की गई थी जिससे समानांतर तरमीम का सही प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम शुद्धि की अनुशंषा की। परंतु प्रस्तावित सही तरमीमी नक्शा में खसरा नंबर 1052/3 तथा 1052/4 के बीच में खसरा नंबर 1052/2 दर्शाया गया है। जबकि संपरिवर्तन आदेश के संलग्न तरमीमी नक्शा में खसरा नंबर 1052/2 के उपर की ओर खसरा नंबर 1052/4 की तरमीम की हुई है। इस प्रकार यद्यपि तहसीलदार बाली द्वारा नक्शे में तरमीम शुद्धि की अनुशंषा की गई है। परंतु इसकी पुष्टि प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं संपरिवर्तन के समय पटवारी हल्का बारवा द्वारा जारी तरमीमी नक्शा की प्रति पी 35 कमांक	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	37 दिनांक 22.08.2014 में दर्ज इन्द्राज से नहीं होने से प्रार्थी की मांग अनुसार सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शे में त्रुटि किये जाने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 के तहत नक्शे में तरमीम शुद्धि बाबत विधिक प्रावधानों की कसौटी पर खरा नही उतरने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली, फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	
न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★	सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner